



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2019/ज्येष्ठ 8, 1941

No. 324]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2019/JYAISTHA 8, 1941

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2019

सा.का.नि. 385(अ).—घरेलू रूप से उत्पादित किए जाने वाले लौह एवं स्टील उत्पाद की सरकारी खरीद को प्राथमिकता दिए जाने के लिए संशोधित नीति सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।

[फा. सं. 3(2)/2018-आईडीडी]

रमिका चौबे, अपर सचिव

सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को बरीयता देने के लिए नीति - संशोधित, 2019

1. भूमिका

- 1.1 यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों (डी एम आई एंड एस पी) को बरीयता देती है।
- 1.2 यह नीति यथा लागू निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुपालन में उत्पादित लौह एवं इस्पात उत्पादों जिसे परिशिष्ट क में दिया गया है और परिशिष्ट ख में दिए गए लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए पूंजीगत माल पर लागू होती है।
- 1.3 यह नीति सरकार के प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी एजेंसियों/प्रतिष्ठानों तथा सरकारी परियोजनाओं के वास्ते लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए इन एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं पर लागू है। हालांकि, यह नीति वाणिज्यिक पुनः बिक्री के उद्देश्य से अथवा वाणिज्यिक बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग करने के उद्देश्य से लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद पर लागू नहीं होगी।

2. परिभाषाएं

- 2.1 **बोली** लगाने वाला लौह एवं इस्पात का कोई घरेलू/विदेशी निर्माता अथवा उनके बिक्री एजेंट/अधिकृत वितरक/अधिकृत डीलर/अधिकृत आपूर्ति गृह अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित निधि परियोजनाओं की बोली लगाने में कार्यरत कोई अन्य कंपनी हो सकती है।

- 2.2 **घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डी एम आई एंड एस पी)** वे लौह एवं इस्पात उत्पाद हैं जिनका निर्माण उन प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है जो भारत में पंजीकृत और स्थापित हैं, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) शामिल है। इसके अलावा, इस प्रकार के उत्पाद परिशिष्ट क में किये गये उल्लेख के अनुसार घरेलू न्यूनतम मूल्यवर्धन के मानदंडों को पूरा करेंगे।
- 2.3 **घरेलू निर्माता** खंड 7 में दिशा-निर्देशों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में दी गई 'निर्माता' की परिभाषा के अनुरूप लौह एवं इस्पात उत्पादों का एक निर्माता है।
- 2.4 इस नीति के प्रयोजन से **सरकार** का तात्पर्य भारत सरकार से है।
- 2.5 **सरकारी एजेंसियों** में सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार द्वारा स्थापित सोसायटी, ट्रस्ट और सांविधिक निकाय शामिल हैं।
- 2.6 **एम ओ एस** का आशय इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से है।
- 2.7 **निवल बिक्री कीमत** बीजक कीमत होगी जिसमें निवल घरेलू कर और शुल्क शामिल नहीं होंगे।
- 2.8 **अर्ध तैयार इस्पात** का तात्पर्य इनगोट्स, बिलेट, ब्लूम और स्लेब्स से है, जिसे बाद में प्रसाधित कर तैयार इस्पात बनाया जा सकता है।
- 2.9 **तैयार इस्पात** का तात्पर्य सपाट और लंबे उत्पादों से होगा जिन्हें बाद में प्रसाधित कर निर्मित मद बनाया जा सकता है।
- 2.10 **एल1** का तात्पर्य निविदा अथवा अन्य खरीद संबंधी अनुरोध के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में यथाघोषित निविदा, बोली लगाने संबंधी प्रक्रिया अथवा अन्य खरीद संबंधी अनुरोधों में प्राप्त निम्नतम निविदा अथवा निम्नतम बोली अथवा निम्नतम भाव से होगा।
- 2.11 **खरीद वरीयता के मार्जिन** का तात्पर्य उस अधिकतम सीमा से है जिस सीमा तक किसी घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा लगाई गई कीमत खरीद वरीयता के प्रयोजन से एल1 से अधिक हो। डी एम आई एंड एस पी नीति के मामले में, खरीद वरीयता का मार्जिन परिशिष्ट ख में मदों के लिए 20 प्रतिशत होगा।
- 2.12 **लौह एवं इस्पात उत्पाद** का तात्पर्य ऐसे लौह एवं इस्पात उत्पादों से होगा जिनका उल्लेख परिशिष्ट क में किया गया है।
- 2.13 **घरेलू मूल्यवर्धन** निवल बिक्री कीमत (निवल घरेलू करों और शुल्कों को छोड़कर बीजक कीमत) होगी जिससे प्रतिशत में निवल बिक्री कीमत के एक अनुपात के रूप में भारत में निर्माण संयंत्र (सभी सीमा शुल्कों सहित) में आयात की गई इनपुट सामग्री की पहुंच लागत घटाई गई हो, 'घरेलू मूल्यवर्धन' परिभाषा डी पी आई आई टी (पूर्व में डी आई पी पी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी और उसमें भविष्य में डी पी आई आई टी द्वारा परिवर्तन किये जाने की स्थिति में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा। इस नीति दस्तावेज के प्रयोजन के लिए घरेलू मूल्यवर्धन और स्थानीय विषय वस्तु का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया गया है।
- 3. अपवर्जन**
- 3.1 इस्पात मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की सभी सरकारी खरीदों के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जाएगी।
- 3.1.1 जहां विशिष्ट ग्रेडों के इस्पात का निर्माण इस देश में नहीं किया जाता हो, अथवा
- 3.1.2 जहां परियोजना की मांग के अनुसार इन मात्राओं को घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता हो।
- अपवर्जन संबंधी अनुरोधों को घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों के उपलब्ध न होने के पर्याप्त प्रमाण के साथ स्थायी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 4. स्थायी समिति**
- इस नीति के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए इस्पात मंत्रालय (एम ओ एस) के अधीन एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष सचिव इस्पात होंगे। इस समिति में उद्योग/उद्योग संघ/सरकारी संस्था अथवा निकाय/इस्पात मंत्रालय (एम ओ एस) से लिए गए विशेषज्ञ होंगे। इस्पात मंत्रालय में उक्त समिति के पास निम्नलिखित के लिए अधिदेश होगा :
- 4.1 इस नीति के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना
- 4.2 परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में यथा उल्लिखित लौह एवं इस्पात उत्पादों की सूची और घरेलू बिक्री वर्धन की आवश्यकता से संबंधित मानदंडों की समीक्षा करना और उसे अधिसूचित।

- 4.3 खंड 3 के अनुसार खरीद एजेंसियों को अपवर्जन की स्वीकृति देने सहित इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करना।
- 4.4 शिकायत निवारण करने के लिए एक अलग समिति का गठन करना।
- 4.5 स्थायी समिति इस्पात मंत्रालय को अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
- 5. सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले लौह एवं इस्पात उत्पादों को अधिसूचित करना**
- 5.1 निम्नलिखित दिशानिर्देशों का उपयोग इस नीति के अंतर्गत उपरोक्त उत्पादों की पहचान करने और उमे अधिसूचित करने के लिए किया जा सकता है :
- 5.1.1 यह नीति परिशिष्ट क में दिए गए अनुसार लौह एवं इस्पात उत्पादों और परिशिष्ट ख में लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल पर लागू है।
- 5.1.2 परिशिष्ट क में लौह एवं इस्पात उत्पादों की सूची दी गई है जिसका निर्माण अनन्य रूप से घरेलू स्तर पर किया जाना है और उसका आयात इस्पात मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है।
- 5.1.3 परिशिष्ट ख में पूंजीगत माल की एक सूची (जो विस्तृत नहीं है) दी गई है जिसके लिए खरीद संबंधी वरीयता घरेलू स्तर पर निर्मित पूंजीगत माल को दी जाएगी, यदि उनकी दी गई कीमत सदृश्य आयात किये गये पूंजीगत माल के लिए दी गई कीमत के 20 प्रतिशत के अंदर आती हो।
- 5.1.4 इस नीति का उद्देश्य सभी लौह एवं इस्पात उत्पादों को अधिसूचित करना है जिसकी खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए की जाती है और न कि वाणिज्यिक पुनः बिक्री के उद्देश्य से अथवा वाणिज्यिक बिक्री के लिए उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग करने के उद्देश्य से की गई हो।
- 5.1.5 यह नीति सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग के द्वारा निधि प्रदत्त सभी परियोजनाओं और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी एजेंसियों/प्रतिष्ठानों पर लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए लागू है।
- 5.1.6 यह नीति उन परियोजनाओं पर लागू होगी जहां लौह एवं इस्पात उत्पादों का खरीद मूल्य 25 करोड़ रुपए से अधिक होता हो। यह नीति अन्य खरीद (गैर परियोजना) के लिए भी लागू होगी जहां उस सरकारी संगठन के लिए लौह एवं इस्पात उत्पादों का वार्षिक खरीद मूल्य 25 करोड़ रुपए से अधिक होता हो।
- 5.1.7 यह नीति सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग अथवा उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की किसी अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए और/अथवा ई पी सी संविदा को पूरा करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों द्वारा लौह एवं इस्पातों की खरीद पर लागू है।
- 5.1.8 घरेलू लौह एवं इस्पात उत्पादों के विभिन्न ग्रेडों की उपलब्धता का विश्लेषण इस नीति के अंतर्गत अधिसूचित करने से पहले करना होगा। केवल उन लौह एवं इस्पात को उत्पादों को जिनके संबंध में कम से कम एक घरेलू निर्माता मौजूद हो, अधिसूचित किया जाएगा। स्थायी समिति से परामर्श किया जा सकता है।
- 5.1.9 यह नीति यथा लागू निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुपालन में उत्पादित परिशिष्ट ख में दिए गए लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल के लिए लागू है।
- 5.1.10 लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूंजीगत मालों की घरेलू खरीद के लिए नीति लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए और न कि वाणिज्यिक पुनः बिक्री के उद्देश्य से पूंजीगत मालों की खरीद के वास्ते और सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात विनिर्माताओं और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी एजेंसियों/प्रतिष्ठानों पर लागू है।
- 5.1.11 यह नीति ई पी सी संविदा और/अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से इस्पात निर्माताओं और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी एजेंसियों/प्रतिष्ठानों की किसी अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए निजी एजेंसियों द्वारा लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल की खरीद पर लागू है।
- 5.1.12 सरकारी एजेंसियां जो लौह एवं इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत माल और लौह एवं इस्पात उत्पादों की खरीद में उन स्थितियों में शामिल है जहां लौह एवं इस्पात उत्पादों का उल्लेख परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में नहीं किया गया हो, स्थायी समिति को निर्धारित मानदंडों के साथ इस उत्पाद के विवरण और तकनीकी विनिर्देशन उपलब्ध करायेगा। स्थायी समिति खंड 3 और खंड 4 में अधिदेश के अनुसार कार्य करेगी।

- 5.2 इस्पात मंत्रालय (एम ओ एम) परिशिष्ट क में दिए गए न्यूनतम निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के साथ लौह एवं इस्पात उत्पादों को अधिसूचित करेगा।
- 5.3 लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश, परियोजना के आकार पर विचार किये बिना परिशिष्ट ख में लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल की सभी खरीदों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात निर्माताओं पर लागू होंगे।
- 5.4 परिशिष्ट क में लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए तथा परिशिष्ट ख में लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल के लिए सुझाव दिए गए न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता घरेलू आपूर्तिकर्ता का आधार, आपूर्तिकर्ताओं की संख्या और खपत की तुलना में आयात का अनुपात जैसे कारकों के आधार पर तय किया गया है।
- 5.5 घरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता संबंधी मानदंडों का इस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा जिस से कि यह किसी दिए गए समय में लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग की औसत/औसत से अधिक निर्माण क्षमता दर्शाता हो। स्थायी समिति द्वारा समय समय पर उपयुक्त रूप से इसकी समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इस्पात मंत्रालय के अनुमोदन से इसमें संशोधन किया जाएगा।
- 6. सरकार एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया**
- 6.1 खरीद करने वाली/सरकारी एजेंसियां डी एम आई एंड एस पी का पालन करते समय वित्त मंत्रालय और सी वी सी के अनुदेशों के अनुसार मानक खरीद संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करेगी। यह नीति सभी निविदाओं जहां कीमत बोली नहीं खोली गई है, में इसके अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
- 6.2 दोनों वस्तुओं की खरीद तथा ई पी सी संविदाओं के लिए निविदा दस्तावेज में लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए लौह एवं इस्पात उत्पादों तथा पूंजीगत माल (जैसा कि परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में दर्शाया गया है, के लिए बोली लगाने वाले द्वारा न्यूनतम निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन का पालन करने के लिए अर्हता मानदंडों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- 6.3 घरेलू उत्पादों के विकास का सहयोग करने में, लौह एवं इस्पात व्यापार क्रियाकलापों में घरेलू मूल्यवर्धन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे **परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख** में दिया गया है।
- 6.4 परिशिष्ट क में लौह और इस्पात उत्पादों के खरीद की प्रक्रिया केवल उन निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के लिए ही खुली रहेगी जिसमें घरेलू मूल्यवर्धन लक्ष्यों को पूरा करने/उससे ज्यादा पूरा करने की क्षमता हो। घरेलू मूल्यवर्धन लक्ष्यों को पूरा न करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता बोली लगाने में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
- 6.5 परिशिष्ट ख में दी गई मदों के मामलों में, यदि खरीद करने वाली कंपनी की राय में, निविदाओं (खरीदी गई मात्रा) को 50:50 के निर्धारित अनुपात में नहीं बांटा जा सकता है, तब उनके पास मात्रा जो 50 प्रतिशत से कम नहीं हो, जो कि विभाज्य हो, के लिए पात्र घरेलू निर्माता को संविदा देने का अधिकार होगा।
- 6.6 उपर्युक्त शर्त को जारी रखते हुए, परिशिष्ट ख की मदों के लिए, यदि निविदा दी गई मद विभाज्य न हो (खरीद करने वाली कंपनी द्वारा निविदा दस्तावेज में शामिल किए जाने के लिए) यह संविदा समग्र मात्रा के लिए पात्र घरेलू निर्माता को दी जा सकती है।
- 6.7 परिशिष्ट ख के मदों के मामलों में, यदि घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पात्र निर्माताओं में से कोई भी एल1 की बोली के अनुरूप न हो, तब एल1 की बोली धारण करने वाले मूल बोली लगाने वाला खरीद के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश प्राप्त करेंगे।
- 6.8 वे बोली लगाने वाले जो लौह एवं इस्पात उत्पादों के घरेलू निर्माताओं के बिक्री एजेंट/अधिकृत वितरक/अधिकृत डीलर/अधिकृत आपूर्ति गृह हैं इस नीति के अंतर्गत घरेलू निर्माताओं की ओर से बोली लगाने के लिए पात्र हैं। हालांकि, यह निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा।
- 6.8.1 बोली लगाने वाले घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों की बिक्री करने के लिए घरेलू निर्माता द्वारा जारी किए गए अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

- 6.8.2 यदि खरीद को डी एम आई एंड एम पी नीति के परिशिष्ट क के अंतर्गत शामिल किया गया हो तब बोली लगाने वाला यह घोषणा करते हुए खरीद करने वाली एजेंसी को घरेलू निर्माता द्वारा जारी किया गया स्व-प्रमाणन का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि लौह और इस्पात उत्पादों का घरेलू स्तर पर निर्माण निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के मामले में किया जाता है।
- 6.8.3 यदि खरीद को डी एम आई एंड एम पी नीति के परिशिष्ट ख के अंतर्गत शामिल किया गया हो तब बोली लगाने वाला यह घोषणा करते हुए घरेलू निर्माता को सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाणन प्रस्तुत करेगा कि लौह और इस्पात उद्योग में उपयोग किये जाने वाले पूंजीगत माल का घरेलू स्तर पर निर्माण निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के मामले में किया जाता है।
- 6.8.4 बोली लगाने वाले की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस नीति के अनुसार खरीद करने वाली एजेंसी को घरेलू निर्माता द्वारा जारी किये जाने के लिए अपेक्षित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे।

7. घरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता

- 7.1 घरेलू रूप में निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद अथवा पूंजीगत माल के रूप में उत्पाद के रूप में पात्र होने के लिए न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता का उल्लेख परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में किया गया है।
- 7.2 घरेलू मूल्यवर्धन निवल बिक्री कीमत (निवल घरेलू करों और शुल्कों को छोड़कर बीजक कीमत) होगी जिसमें से प्रतिशत में निवल बिक्री कीमत के एक अनुपात के रूप में भारत में निर्माण करने वाले संयंत्र में आयात की गई इनपुट सामग्री की पहुंच लागत (सभी सीमा शुल्कों को शामिल करते हुए) घटाई जाएगी।
- 7.2.1 यदि लौह और इस्पात उत्पादों को घरेलू इनपुट इस्पात (अर्ध तैयार/तैयार इस्पात) का उपयोग करके निर्माण किया जाता हो, तब खरीदी गई मात्रा और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ वास्तविक घरेलू उत्पादों से खरीद का बीजक खरीद करने वाली सरकारी एजेंसी को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 7.2.2 यदि लौह एवं इस्पात उत्पादों ने इनपुट इस्पात का आयात किया हो तब खरीदी गई मात्रा और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ वास्तविक उत्पादकों से खरीदों के बीजकों को अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। घरेलू मूल्यवर्धन की सीमा निकालने के लिए, दोनों इनपुट इस्पातों (आयात किये और घरेलू) की भारित औसत पर विचार यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि इस नीति की न्यूनतम निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता का पालन किया गया है।
- 7.3 यह सिफारिश की जाती है कि निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले को नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करते हुए घरेलू मूल्यवर्धन की गणना करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावा किये गये घरेलू मूल्यवर्धन इस नीति के न्यूनतम निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के अनुरूप है।

लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए

% घरेलू मूल्यवर्धन

$$= \frac{\text{अंतिम उत्पाद की निवल बिक्री कीमत} - \text{संयंत्र में आयात किये गये लौह अथवा इस्पात की पहुंच लागत}}{\text{अंतिम उत्पाद की निवल बिक्री कीमत}} \times 100\%$$

पूंजीगत माल के लिए

% घरेलू मूल्यवर्धन

$$= \frac{\text{अंतिम उत्पाद की निवल बिक्री कीमत} - \text{संयंत्र में आयात किये गये इनपुट सामग्री की पहुंच लागत}}{\text{अंतिम उत्पाद की निवल बिक्री कीमत}} \times 100\%$$

8. प्रमाणन और लेखा परीक्षण

- 8.1 परिशिष्ट क में दिए गए उत्पादों के लिए, प्रत्येक घरेलू निर्माता यह घोषणा करते हुए खरीद करने वाली सरकारी एजेंसी को स्व-प्रमाणन का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि लौह एवं इस्पात उत्पाद का निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में घरेलू स्तर पर निर्माण किया गया है। परिशिष्ट ख के पूंजीगत माल के लिए, बोली लगाने वाला यह घोषणा करते हुए घरेलू निर्माता को सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाणन प्रस्तुत करेगा कि पूंजीगत माल का निर्माण घरेलू स्तर पर निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में किया गया है। वे बोली लगाने वाले जो लौह एवं इस्पात उत्पादों के घरेलू निर्माताओं का एकमात्र बिक्री एजेंट/अधिकृत वितरक/अधिकृत डीलर/अधिकृत आपूर्ति गृह हैं, ई पी सी के अंतर्गत घरेलू निर्माताओं की ओर से बोली लगाने के लिए पात्र हैं।

बोली लगाने वाला घरेलू निर्माताओं के द्वारा जारी किए गए स्व-प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किये गये प्रमाणनों को यह घोषणा करते हुए खरीद करने वाली एजेंसी को प्रस्तुत करेगा कि लौह एवं इस्पात उत्पादों का घरेलू स्तर पर निर्माण निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में किया गया है। स्व-प्रमाणन का शपथ पत्र इन दिशानिर्देशों से संलग्न **प्रपत्र 1** में प्रस्तुत किया जाएगा।

- 8.2 घरेलू निर्माता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार से दावा किये गये उत्पादों का घरेलू स्तर पर उस उत्पाद के लिए निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में किया गया है। बोली लगाने वाले से यह भी अपेक्षित होगा कि वह घरेलू निर्माता के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अर्धवार्षिक (सितंबर 30 और मार्च 31) आधार पर घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये कि पहले 6 महीनों के दौरान इस उत्पाद के लिए किये गये घरेलू मूल्यवर्धन के दावे इस नीति के अनुसार हैं। इस प्रकार के प्रमाण पत्र को संबंधित सरकारी एजेंसियों को प्रत्येक छमाही के शुरू होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और उस उत्पादों की आपूर्ति को पूरा करने तक प्रस्तुत करता रहेगा।
- 8.3 खरीद करने वाली एजेंसी बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत किये गये इस्पात उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में स्व-प्रमाणन का शपथ पत्र स्वीकार करेगा। सामान्य तौर पर खरीद करने वाली एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस दावे की सत्यता की जांच करे। इसकी सत्यता प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी बोली लगाने वाले की होगी जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए।
- 8.4 यदि खरीद करने वाली एजेंसी अथवा संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा लौह एवं इस्पात उत्पादों में घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में बोली लगाने वाले के दावे के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तब खरीद करने वाली एजेंसी के पास सभी संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उसकी जांच करने तथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तब मामले को तकनीकी सहायता के लिए अनुरोध के साथ इस्पात मंत्रालय को भेजा जा सकता है।
- 8.5 सरकारी एजेंसी को भेजे गए किसी शिकायत का निपटारा सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के साथ इसे भेजे जाने के 4 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। बोली लगाने वाले से यह अपेक्षित होगा कि वह शिकायत दायर करने के 2 सप्ताह के भीतर सरकारी एजेंसी को लौह एवं इस्पात उत्पादों में दावा किये गये घरेलू मूल्यवर्धन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे।
- 8.6 यदि इस मामले को इस्पात मंत्रालय के पास भेजा जाता है तब इस्पात मंत्रालय के अधीन गठित शिकायत निवारण समिति सरकारी एजेंसी के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद बोली लगाने वाले से सभी दस्तावेजों के प्राप्त होने और उसका संदर्भ भेजे जाने के 4 सप्ताह के भीतर शिकायत का निपटारा करेगी। बोली लगाने वाले से यह अपेक्षित होगा कि वे इस मामले के संदर्भ के 2 सप्ताह के भीतर इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति को लौह एवं इस्पात उत्पादों में दावा किए गए घरेलू मूल्यवर्धन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे। यदि बोली लगाने वाले द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है तब शिकायत निवारण समिति दावे की प्रमाणिकता अधिक करने के लिए सरकारी एजेंसी के परामर्श से आगे आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।
- 8.7 घरेलू मूल्यवर्धन की निर्धारित सीमा का आकलन करने की लागत का वहन खरीद करने वाली एजेंसी द्वारा किया जाएगा यदि घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाण पत्र के अनुसार सही पाया गया हो। हालांकि, यदि ऐसा पाया गया हो कि दावा किए गए अनुसार घरेलू मूल्यवर्धन सही नहीं है तब आकलन की लागत बोली लगाने वाले द्वारा भुगतान के योग्य होगी जिन्होंने एक गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इसे लागू करने के तरीके को निविदा दस्तावेज में परिभाषित किया जाएगा।

9. प्रतिबंध

- 9.1 प्रत्येक सरकारी एजेंसी निविदा दस्तावेज में निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन का बोली लगाने वाले के द्वारा गलत घोषणा किए जाने की स्थिति में दण्ड को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा। इस दण्ड में ऐसे निर्माता/सेवा प्रदाता की ई एम डी को जब्त करना, अन्य वित्तीय दंड लगाना और उसे काली सूची में डालना शामिल हो सकता है।
- 9.2 संबंधित बोली लगाने वाले के द्वारा इस्पात मंत्रालय को किसी प्रकार की शिकायत भेजे जाने की स्थिति में, 10 लाख रुपए अथवा खरीदी जा रही डी एम आई एंड एस पी के मूल्य का 0.2 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख के अध्यक्षीन) इसमें से जो भी अधिक हो, का शिकायत शुल्क होगा जिसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ इस्पात मंत्रालय के अधीन शिकायत निवारण समिति के पास जमा किए गए डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा। यदि, शिकायत को सही नहीं पाया जाता है तब सरकारी एजेंसी के पास उक्त राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि शिकायत पर्याप्त रूप से सही पाई जाती है तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए शुल्क को बिना किसी ब्याज के वापिस किया जाएगा।

10. इस्पात मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग

- 10.1 इस नीति के प्रावधान प्रकाशन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। इस नीति की अवधि को इस्पात मंत्रालय के विवेक से और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- 10.2 इस्पात मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा।
- 10.3 डी एम आई एंड एम पी नीति के अंतर्गत सभी लागू एजेंसियां इस नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी और वार्षिक रूप से जून के महीने में एक घोषणा भेजेगी जिसमें इस नीति के अनुपालन की सीमा और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसके अनुपालन न किए जाने के कारणों को दर्शाया जाएगा।

इस्पात मंत्रालय को संदर्भ

किमी ऐसे प्रश्न की स्थिति में कि क्या खरीदी जा रही मद इस नीति के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले डी एम आई एंड एम पी है, इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए इस्पात मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

परिशिष्ट क - धरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों के लिए अनन्य

क्र. सं.	लौह एवं इस्पात उत्पादों की सांकेतिक सूची	लागू एच एस कोड	न्यूनतम धरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता
1	600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, हॉट रोलड, न ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7208	50%
2	600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, कोल्ड रोलड (कोल्ड - कम किया हुआ), न ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7209	50%
3	600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7210	50%
4	600 मि. मी. से कम की चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, न ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7211	35%
5	600 मि. मी. से कम की चौड़ाई का लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का फ्लेट रोल उत्पाद, ढका हुआ, प्लेट लगाया हुआ अथवा कोट किया हुआ	7212	35%
6	लौह एवं गैर एलॉय इस्पात का अनियमित रूप से षंठा हुआ क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोलड	7213	35%
7	लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात के अन्य बार्स और रॉड्स जिसे फोर्ज किए जाने की तुलना में आगे अधिक वर्क नहीं किया हुआ, हॉट रोलड, हॉट ड्रॉन अथवा हॉट एक्सट्रूडेड परंतु रोलिंग के बाद उसे टिबिस्ट किये जाने सहित	7214	35%
8	लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का अन्य बार्स एंड रोड्स	7215	35%
9	लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का एंगल, शेप और सेक्शन	7216	35%
10	लौह अथवा गैर एलॉय इस्पात का तार	7217	50%
11	600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई का स्टेनलैस इस्पात का फ्लेट रोलड इस्पात	7219	50%
12	600 मि. मी. से कम की चौड़ाई का स्टेनलैस इस्पात का फ्लेट रोलड इस्पात	7220	50%
13	स्टेनलैस स्टील का अन्य बार्स और रोड्स; स्टेनलैस स्टील का एंगल शेप और सेक्शन	7222	50%
14	अन्य एलॉय इस्पात का तार	7229	35%
15	लौह अथवा इस्पात को रेल, रेलवे अथवा ट्रामवे ट्रेक निर्माण सामग्री	7302	50%

16	कास्ट लौह का ट्यूब, पाइप और होलो पाइप	7303	35%
17	लौह (कास्ट आयरन को छोड़कर) अथवा इस्पात का ट्यूब पाइप और होलो प्रोफाइल, मीमलैस	7304	35%
18	लौह अथवा इस्पात का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले अन्य ट्यूब और पाइप (उदाहरण के लिए, वेल्ड किया हुआ, रिबेट किया हुआ अथवा समान रूप से बंद किया गया हुआ), जिसकी बाहरी त्रिज्या 406.4 मि. मी. से अधिक हो	7305	35%
19	लौह अथवा इस्पात के अन्य ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल (उदाहरण के लिए ओपन मीन अथवा वेल्ड किया हुआ, रिबेट किया हुआ अथवा समान रूप से बंद किया गया हुआ)	7306	35%
20	लौह अथवा इस्पात का ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कनेक्टर/कप्लिंग, एल्बो स्लीव्स)	7307	35%
21	स्टेनलैस स्टील का अनियमित रूप से ऎंठा हुआ क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोल्ड	7221	35%
22	स्टेनलैस स्टील का वायर	7223	35%
23	इलेक्ट्रिकल स्टील सहित 600 मि. मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले अन्य एलॉय स्टील का फ्लेट रोल्ड इस्पात	7225	35%
24	इलेक्ट्रिकल स्टील सहित 600 मि. मी. से कम की चौड़ाई वाले अन्य एलॉय स्टील का फ्लेट रोल्ड इस्पात	7226	35%
25	अन्य एलॉय स्टील का अनियमित रूप से ऎंठा हुआ क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोल्ड	7227	15%
26	अन्य एलॉय स्टील का अन्य बार्स और रॉड्स; अन्य एलॉय स्टील का एंगल, शेप्स और सेक्शन्स; एलॉय अथवा नॉन एलॉय स्टील का होलो ड्रिल बार्स और रॉड्स	7228	35%
27	लौह अथवा इस्पात की शीट पाइलिंग, चाहे ड्रिल किया हुआ हो अथवा नहीं, चाहे पंच किया हुआ हो अथवा नहीं, चाहे असेम्बल किये हुए तत्वों से बना हुआ हो अथवा नहीं; लौह अथवा इस्पात का वेल्ड किया हुआ एंगल, शेप और सेक्शन्स	7301	15%
28	स्ट्रक्चर्स (9406 के शीर्ष का प्रीफेब्रिकेटेड भवनों को छोड़कर) और स्ट्रक्चर्स का हिस्सा	7308	15%
29	300 लीटर से अधिक क्षमता का लौह अथवा इस्पात का किसी सामग्री (कम्प्रेस किए हुए अथवा सरलीकृत गैस को छोड़कर) के लिए भंडार, टैंक, वैट और समान कन्टेनर चाहे उसे लाइन किया गया हो अथवा नहीं या उसे हीट से इन्सुलेट किया गया हो अथवा नहीं लेकिन यांत्रिक अथवा तापीय उपक्रम से युक्त न हो	7309	15%
30	अधिकतम 300 लीटर की क्षमता का लौह अथवा इस्पात का किसी सामग्री (कम्प्रेस किए हुए अथवा सरलीकृत गैस को छोड़कर) के लिए टैंक, कास्ट, ड्रम, केन, बॉक्स और समान कन्टेनर चाहे उसे लाइन किया गया हो अथवा नहीं या उसे हीट से इन्सुलेट किया गया हो अथवा नहीं लेकिन यांत्रिक अथवा तापीय उपक्रम से युक्त न हो	7310	15%
31	लौह अथवा इस्पात का कम्प्रेस किया हुआ अथवा सरलीकृत गैस के लिए कन्टेनर	7311	15%
32	लौह अथवा इस्पात का स्टेंडिड वायर, रोप, केबल, प्लेटिड बैंड, स्लिंग और उसके समान वस्तु जिसे विद्युतीय रूप से इन्सुलेट न किया गया	7312	15%
33	लौह अथवा इस्पात का फेनसिंग के लिए उपयोग किये जाने वाला बार किया हुआ वायर; ट्रिवस्ट किया हुआ हूप अथवा सिंगल प्लेट वायर, बार्स किया हुआ अथवा नहीं और लूज तरीके से ट्रिवस्ट किया हुआ डबल वायर	7313	15%
34	लौह अथवा इस्पात तार का ड्रिल, नेटिंग और फेनसिंग; लौह अथवा इस्पात का विस्तार किया हुआ धातु	7314	15%

35	लौह अथवा इस्पात का चैन और उसका हिस्सा	7315	15%
36	लौह अथवा इस्पात का टैंकर, ग्रेपनेल्म और उसका हिस्सा	7316	15%
37	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7317	15%
38	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7318	15%
39	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7319	15%
40	लौह अथवा इस्पात का स्प्रिंग और स्प्रिंग के लिए लीन्स	7320	15%
41	लौह अथवा इस्पात का स्टोव्स, रेंज, ग्रेड, कूकर (केंद्रीय हिटिंग के लिए सहायक बायलरों के साथ उन वस्तुओं सहित), वारवेक्यूज, ब्रेजियर्स, गैस रिंग, प्लेट वामर्स और समान गैर-विद्युतीय घरेलू उपकरण और उसका हिस्सा	7321	15%
42	लौह अथवा इस्पात का केंद्रीय हिटिंग के लिए रेडियेटर जिसे विद्युतीय रूप से हीट न किया गया हो और उसका हिस्सा; लौह अथवा इस्पात का हेयर हीटर और हॉट एयर वितरक जिसे विद्युतीय रूप से हीट न किया गया हो, फेन अथवा ब्लोअर जो मोटर से चलती हो और उसके हिस्से को शामिल करते हुए	7322	15%
43	लौह अथवा इस्पात का टेबल और समान घरेलू वस्तुएं और उसका हिस्सा	7323	15%
44	लौह अथवा इस्पात का सेनेटरी वेयर और उसको पार्ट्स	7324	15%
45	लौह अथवा इस्पात का अन्य कास्ट सामान	7325	15%
46	लौह अथवा इस्पात का विद्युतीय इस्पात और अन्य वस्तु	7326	15%
47	रेलवे अथवा ट्रामवे पेसेंजर कोच जो स्वयं आगे नहीं बढ़ता हो	8605	50%
48	रेलवे अथवा ट्रामवे माल वेन और वेगेन जो स्वयं आगे नहीं बढ़ता हो	8606	50%
49	रेलवे अथवा ट्रामवे लोकोमोटिव का हिस्सा अथवा रोलिंग स्टॉक जैसे बोगिज, बिसल बोगिज, एक्सेल और फोज्ड किया हुआ पहिया और उसका हिस्सा	8607	50%

विवरणों में शामिल किए गए उत्पाद सांकेतिक हैं, विनिर्दिष्ट एच एम कोड के अंतर्गत सभी उत्पादों को परिशिष्ट के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

परिशिष्ट ख

लौह और इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल की सांकेतिक सूची (जो विस्तृत नहीं है)

क्र. सं.	संयंत्र शॉप	पूंजीगत माल	न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता
1	कच्चा माल संभाल प्रणाली	चूर्ण की हुई सामग्री के लिए एप्रोन फीडर, बेरल कप्लिंग, हैवी ड्यूटी बियेरिंग, हाइड्रोलिक डिक्स ब्रेक्स, टेकर एंड कंटेनर, पाइप कंवेयर के लिए कंवेयर बेल्ट, हाई एंगल कंवेयर प्रणाली, क्रशर्स, क्रेन रेल लुब्रिकेशन, चार गरडर ग्राइडर ई ओ टी क्रेन, क्रेन वेइंग प्रणाली, क्रेन एयर कंडीशनिंग, फ्यूड कप्लिंग, 4 लिफ्ट ट्रक्स, हाइड्रोलिक मोटर्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, लॉकिंग एसेम्बली (फ्रिक्शन ग्रिप), लोड सेल्स, लेवल सेन्सर्स, पाइप कंवेयर प्रणाली, प्लग/पाडेल फीडर, न्यूमेटिक दुलाई - घना एवं लिन फेस, रिक्लेमर्स, रेडियो रिमोट कंट्रोल, रेल फिक्सिंग व्यवस्था (विशेष), रेपिड/फ्लेड लोडिंग प्रणाली, स्टेर्स, स्पेशल स्क्रीन, स्लिव रिंग बियरिंग, ट्रिप्लर्स, ट्रांसफर कार, टॉग्स (स्पेशल), बाइब्रेशन, आइसोलेशन प्रणाली (स्प्रिंग डम्पर) वेगन टिप्लर्स, वेगन लोडर	50%
2	मिनिरल बेनिफिकेशन (लौह अयस्क और कोयला) उपकरण	इंडस्ट्रीयल क्रशर्स, ग्राइन्डिंग मिल, परम्परागत स्क्रीन, स्लूरी पम्पस, हिरेट थिकनर्स, फिल्टर्स, हाइड्रोक्लोन्स	50%

3	कॉक अवेन	कॉक ओवन सिलिका रिफेक्टरी, एन्करेज सिस्टम, ब्रॉन्च तरडन के साथ वेस्ट गैस वाल, फ्लेस प्लेट, डोर फ्रेम, डोर बॉडी, माइनर कास्टिंग: गुजनेक, बाल बॉक्स, ए पी लिड, चार्जिंग और इन्स्पेक्शन होल लिड एंड फ्रेम रिवर्सिंग मेकेनिजम, केंद्रीकृत लूत्रिकेशन प्रणाली हाइड्रोजेट डोर क्लीनिंग तंत्र, कोड कंवेयर सिस्टम, स्किप होइस्ट, डोर लोवरिंग रैक, आइसोलेशन/रिवर्सिंग कॉक्स, II ऑटोमेशन, अवेन मशीन	50%
4	उप-उत्पाद संयंत्र	प्राथमिक गैस कूलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक तार प्रेसिपिटेटर, H ₂ S, NH ₃ और नपथलिन स्कूब्वर, कोम्बी स्ट्रीप्पर, फ्लेशिंग लिक्व पम्प, क्लास किन, क्लाक रियेक्टर, वेस्ट हीट बायलर, डिक्लेटर्स	50%
5	सिंटर संयंत्र उपकरण	पेलेट कार, ड्राइव/डिस्चार्ज इंड स्प्रोकेट एसेम्बली कवर्ड रेल, स्लाइड रेल, हॉट सिंटर ब्रेकर और गिजली, डिप रेल एंड रनिंग रेल, प्रोसेस फेन के लिए इम्पेलर एसेम्बली, सिन्टर मशीन का ड्राइव एसेम्बली, उच्च तीव्रता वाला मिक्सर और नोडूलाइजर	50%
6	पेलेट संयंत्र उपकरण	पेलेट कार, ड्राइव/डिस्चार्ज इंड स्प्रोकेट एसेम्बली कवर्ड रेल, स्लाइड रेल, रनिंग रेल वरटिकल रोलर मिल, प्रोसेस फेन के लिए इम्पेलर एसेम्बली, इनडूरेटिंग मशीन का ड्राइव एसेम्बली, उच्च तीव्रता वाला मिक्सर, बालिंग डिक्स, सिंगल डेक्स रोलर स्क्रीन एंड डबल डेक्स रोलर स्क्रीन	50%
7	ब्लास्ट फरनेस उपकरण	ब्लेडर बाल के साथ बेल रहित टॉप प्रणाली, एस जी आयरन स्टेव कूलर, कोपर स्टेव कूलर, स्टॉक लेवल इंडिकेटर (रडार टाइप), मड गन, ड्रिलिंग मशीन एंड मेनिपुलेटर, गैस क्लिलिंग प्लांट प्रणाली, इसके बाइस-पास वाल सहित टॉप रिकवरी टूबाइन सिस्टम, डि-ब्रिकिंग मशीन, रि-रेलिंग उपकरण, पी सी आई प्रणाली, पी सी आई के लिए ग्राइनडिंग मिल, स्टॉक लेवल इंडिकेटर, टूयेरे स्टाक एसेम्बली, वेस्ट हीट रिकवरी प्रणाली, बी एफ एवं हॉट ब्लास्ट स्टोव प्रौद्योगिकीय वाल, एन्व ब्रईन प्रोब्स, स्लग ग्रेन्यूलेशन यूनिट, टूयेरे एंड टूयेरे कूलर, टोरपेडो लेडल कार, बी एफ हरथ रिफेक्ट्री	50%
8	डायरेक्ट रिडक्शन प्लांट उपकरण	चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, अपर एंड लोअर सील लेग, रिफोमर एंड रि-क्यूरेटर सिस्टम, वर्डन फिडर्स, टूबो-एक्सपेंडर, प्रोसेस गैस कम्प्रेसर, सील गैस कम्प्रेसर एवं बोटम सील गैस कम्प्रेसर, सील गैस जेनरेटर एवं डायर्स, प्रोसेस गैस हीटर, CO ₂ रिमूवल प्लांट	50%
9	बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस उपकरण	मुख्य और अनुरक्षण उपकरण जिसमें कंवेटर, गनिंग मशीन, रिफेक्ट्री/स्लग मॉनीटरिंग उपकरण, कंवेटर वेसेल, ट्रनिअन रिंग एंड सम्पेशन प्रणाली, ट्रनिअन बियरिंग और हाउसिंग, कंवेटर बुल गियर यूनिट और टिल्ट ड्राइव सिस्टम, कंवेटर के रोटेरी ज्वाइंट, बोटम स्ट्रिंग सिस्टम, क्लपिंग के साथ लांस बाडी, लांस कोपर टिप्स, ऑक्सीजन ब्लोबिंग/बोटम स्टीरिंग के लिए बाल स्टेशन, सब-लान सिस्टम, प्रोसेस मॉड्यूल अर्थात् प्रोसेस साफ्टवेयर/हार्डवेयर के साथ ऑफ गैस एनेलाइजर, कंटेनर लैब मेजरमेंट प्रोब, स्विच ओवर स्टेशन, प्राइमरी गैस के लिए आई डी फेन, हॉट मेटल और स्टील लेडल, लेडल ट्रांसफर कार, लेडल अनुरक्षण उपकरण, स्लेग पोट, स्लग पोट ट्रांसफर कार, स्क्रैप बॉक्स क्रेप ट्रांसफर कार, लांस करेज, लांस गाइड, क्रेन एंड हाइस्ट, लांस होइस्ट एंड ट्राली, लांस टिल्टिंग उपकरण, लांस को लिफ्ट करने के लिए ट्रेवस, विभिन्न आकर के बंकर, बिन बाइब्रेटर, वेइंग हूपर, अनुरक्षण स्टेण्ड, डी डस्टिंग सक्शन हूड, टीमिंग/एच एम, लेडल रिलाइनिंग स्टैंड, स्टैंड कूलिंग स्टेक इन्स्पेक्शन उपकरण, हूड ट्रेवर्स करेज, रिफेक्ट्री, बाइपास एवं आइसोलेशन बाल्व, फ्लेयर स्टेक एवं इगनिगेशन सिस्टम, स्क्रबिंग टोवर सेल - वेट गैस क्लीनिंग सिस्टम, डॉग हाउस लेडल ड्रायर, लेडल	50%

		प्री-हीटर, लेडल कूलर, फ्यूम कोलेक्शन हूड्स, क्लीन गैस स्टेक, डस्ट मिलो, वेग ब्रिज, स्लग रिटैनिंग उपकरण	
10	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	फर्नेस प्रोपर (जिसमें फर्नेस लोवर सेल, अपर सेल और रूफ, टिल्टिंग प्लेटफार्म, फर्नेस गेन्ट्री शामिल है) और ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोल रेगुलेशन प्रणाली, हाइड्रोलिक सिस्टम, रिफेक्ट्री, लेवल I एंड II आटोमेशन सिस्टम के पार्ट्स। एल एफ - वाटर कूलड लेडल रूफ, इलेक्ट्रोड मास्ट एंड आमर्स, इलेक्ट्रोड रेगुलैटिंग सिस्टम, वायर फिडिंग सिस्टम, बोटम इनडरट गैस स्ट्रिंग वाल सिस्टम पोरुस प्लग और टॉप लांस के लिए, इमरजेंसी लांसतंत्र, ड्राइव यूनिट के साथ लांस केरेजि सिस्टम, स्वचालित तापक्रम, सेम्पलिंग और वाथ लेबल/ओ2 मेजरमेंट, तापक्रम और आक्सीजन इम्मजन लांस, ड्राइव यूनिट के साथ लांस केरेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, रिफेक्ट्री, लेडल रूफ डेल्टा पोरशन, आर एच प्रोपर (जिसमें लेडल ट्रांसफर कार, बेक्यूम वेसेल, वेसेल लिफ्टिंग और लोवरिंग सिस्टम शामिल है, हाइड्रोलिंग सिस्टम, मल्टी फंक्शन लांस, वाल्व रेक्स/स्टेशन, इलेक्ट्रोड क्लेप यूनिट, इलेक्ट्रोड आमर्स का कंडक्टर, वाटर कूलड केबल, ए आर स्टेरिंग वाल्व रेक, लांस ट्रांसपोर्ट कार, रिफेक्ट्री लांस, हाइड्रोलिक सिलेंडर, लेडल रूफ लिफ्टिंग सिलेंडर, लूत्रिकेशन प्रणाली, सक्शन हूड, डम्पर, वाइब्रो फीडर, वेडंग होपर, वायर फिडिंग प्रणाली, इलेक्ट्रोड निपिलिंग स्टेड, क्रेन, होइस्ट, तापमान और सेम्पलिंग टिप्स, लेडल स्टैंड, ई एस पी, डिडिक्टिंग हूड, रिफेक्ट्री, वेग फिल्टर, क्रेन इत्यादि।	50%
11	सतत कास्टिंग उपकरण	लाइले टरेट, लेडल कवर मेनिपुलेटर, लेडल शारउड मेनिपुलेटर, टनडिस कार, कंटिन्यूअस टनडिस टेम्पेचर मेजरमेंट सिस्टम, टनडिस स्टोपर रूड मेकेनिजम, इमरजेंसी कट-आफ गेट, मोल्ड एम्ब्रली, नोजल क्लिक चेंज डिवाइस, मोल्ड ओसीलेटर एंड ई एम एस सिस्टम, इलेक्ट्रो-मेगेनेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, स्ट्रेड गाइड सेगमेंट, विदड्रावल एंड स्ट्रेघटेनिंग यूनिट (डब्ल्यू एस यू), रोल गेप चेकर इमरजेंसी टार्च कटर, टार्च कटिंग मशीन, डेब्रर, मार्किंग मशीन, टेकेनोलोजी कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस मोडल, ब्लेक रिफेक्ट्रीज, स्ट्रेड गन्डे सेगमेंट, टनडिश, लाइले कवर, रोलर टेबल एंड आक्सीलिरीज, माल्ड एंड सेगमेंट मेनटेनेस इक्यूपमेंट टनडिस मेनटेनेस इक्यूपमेंट, ई एम बी आर सिस्टम	50%
12	प्लेट मिल प्रोडक्ट	लार्ज कास्टिंग एंड फाजिंग लाइक मिल हाउसिंग, बेड प्लेट्स वर्क्स रोल, बेकअप रोल, इंड स्पिडल्स; रोलर टेबल, बेकअप रोल एंड वर्क रोल चक्स क्वाइलर/टेशन रिल/अनक्वाइलर, ए जी सी सिलेंडर, शेयर्स, लेवेलेर्स, लाजेर वेल्डर, पेकेजिंग मशीन, नॉन कान्टेक्ट, गेज/प्रोफाइल गेज, एंटी-फ्रिक्शन रोल नेक बियेरिंग, आयल फिल्म बियेरिंग, गियर बॉक्स, मिल मोटर्स	50%
13	लॉग मिल प्रोडक्ट	मिलस हाउसिंग, बेड प्लेट, वर्क रोल, बेकअप रोल, स्पिनडेल्ल्स; रोलर टेबल, कॉयलर /टेशन रिल /अनकॉयलर, शेयर्स, बिल्डट वेल्डर, पेकेजिंग मशीन, नान-कान्टेक्ट गॉज/प्रोफाइल गॉज, एंटी-फ्रिक्शन रोल नेक बियेरिंग, आयल फिल्म बियेरिंग, फिनिशिंग ब्लाक्स, गियर बॉक्स, मिल मोटर	50%

* परिशिष्ट ख में मर्दें निर्माण करने वाले इस्पात के लिए पूंजीगत सामानों की एक सांकेतिक सूची है। यह सूची विस्तृत नहीं है। इस्पात के निर्माण के लिए सभी पूंजीगत मालों पर 50% की न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन आवश्यकता के साथ इस नीति के अंतर्गत खरीद वरीयता के लिए विचार किया जाएगा।

फार्म - 1

100/- रुपए के स्टाम्प पेपर पर दिए जाने के लिए लौह एवं इस्पात उत्पादों/पूँजीगत मालों में घरेलू मूल्यवर्धन के संबंध में स्व-प्रमाणन शपथ के लिए प्रपत्र :

मैं _____ सुपुत्र, सुपुत्री, पत्नी, _____ का निवासी _____
एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक नीचे दिए गए अनुसार वचन देता हूँ और घोषण करता हूँ :

कि मैं अधिसूचना सं. : _____ के माध्यम से जारी किए गए भारत सरकार की नीति के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होऊंगा।

कि यहां नीचे दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैं घरेलू मूल्यवर्धन का आकलन करने के प्रयोजन से खरीद करने वाली एजेंसी के समक्ष संगत रिकार्ड प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।

कि सभी इनपुट्स के लिए घरेलू मूल्यवर्धन जिसमें उक्त लौह एवं इस्पात उत्पाद शामिल हैं का सत्यापन मेरे द्वारा कर लिया गया है और मैं उसमें किये गये दावों की सत्यता के लिए जिम्मेदार हूँ।

कि इसमें उल्लिखित उत्पाद घरेलू मूल्यवर्धन सही नहीं पाये जाने और मूल्यवर्धन के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में, घरेलू मूल्यवर्धन का आकलन करने के उद्देश्य से खरीद करने वाली एजेंसी के आकलन के आधार पर मैं 36 महीनों की अवधि के लिए किसी सरकारी निविदा से अयोग्य ठहराया जाऊंगा। इसके अलावा मैं इस प्रकार के आकलन की सभी लागतों का वहन करूंगा।

कि मैंने अधिसूचना संख्या _____ जिसमें सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को बरीयता दी गई है, में संदर्भित सभी शर्तों का पालन किया है और यह कि खरीद करने वाली एजेंसी को एतद् द्वारा अधिकार दिया जाता है कि वह मेरे ई एम डी को जब्त करे। मैं यह भी वचन देता हूँ कि आकलन की लागत का भुगतान करूंगा और निविदा दस्तावेज में यथा उल्लिखित सभी दण्ड राशि का भुगतान करूंगा।

मैं 8 वर्षों की अवधि के लिए कम्पनी के रिकॉर्ड में निम्नलिखित सूचना रखने के लिए सहमत हूँ और किसी सांविधिक प्राधिकारी को सत्यापन के लिए इसे उपलब्ध कराऊंगा।

- i. बोली लगाने वाले का नाम और ब्यौरा (पंजीकृत कार्यालय, विनिर्माण इकाई का स्थान, कानूनी प्रतिष्ठान की प्रकृति)
- ii. वह तिथि जब यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- iii. लौह एवं इस्पात उत्पाद जिसके लिए इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया जाता है।
- iv. खरीद करने वाली एजेंसी जिसे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- v. दावा की गई घरेलू मूल्यवर्धन की प्रतिशतता और क्या यह निर्धारित घरेलू मूल्यवर्धन के आरंभिक मूल्य को पूरा करता है।
- vi. विनिर्माता की इकाई का नाम और संपर्क विवरण
- vii. लौह और इस्पात उत्पादों की निवल बिक्री कीमत
- viii. संयंत्र तक भाड़ा, बीमा और रखरखाव
- ix. लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट इस्पात (आयात किया गया) की सूची और कुल लागत मूल्य।
- x. इनपुट इस्पात जिसकी आपूर्ति घरेलू स्तर पर की जाती है की सूची और कुल लागत
- xi. कृपया यदि इनपुट इन हाऊस नहीं हो तब आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणपत्र संलग्न करें।
- xii. आयात किये गये इनपुट इस्पात के लिए, सी आई एफ मूल्य, शुल्क और करों, पोर्ट पर उतारने से संबंधित प्रभारों और अंतर्देशीय भाड़े की लागत के ब्यौरे के साथ भारतीय पोर्ट पर पहुंच कीमत।

(प्रतिष्ठान/कंपनी का नाम) के लिए और उसकी ओर से

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किये जाने के लिए)

<नाम, पदनाम और संपर्क सं. की प्रविष्टि करें>

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2019

G.S.R. 385(E).—The revised Policy for providing preference to domestically manufactured Iron & Steel Products in Government procurement is hereby published for general information.

[F. No.3(2)/2018-IDD]

RASIKA CHAUBE, Addl. Secy.

POLICY FOR PROVIDING PREFERENCE TO DOMESTICALLY MANUFACTURED IRON & STEEL PRODUCTS IN GOVERNMENT PROCUREMENT- REVISED, 2019

1 Background

- 1.1 This policy provides preference to Domestically Manufactured Iron and Steel Products (DMI&SP) in Government procurement.
- 1.2 The policy is applicable to iron & steel products as provided in Appendix A and capital goods for manufacturing iron & steel products in Appendix B, produced in compliance to prescribed quality standards, as applicable.
- 1.3 The policy is applicable to every Ministry or Department of Government and all agencies/entities under their administrative control and to projects funded by these agencies for purchase of iron & steel products for government projects. However, this policy shall not apply for purchase of iron & steel products with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.

2 Definitions

- 2.1 **Bidder** may be a domestic/ foreign manufacturer of iron & steel or their selling agents/ authorized distributors/ authorized dealers/ authorized supply houses or any other company engaged in the bidding of projects funded by Government agencies.
- 2.2 **Domestically Manufactured Iron & Steel Products (DMI&SP)** are those iron and steel products which are manufactured by entities that are registered and established in India, including in Special Economic Zones (SEZs). In addition, such products shall meet the criteria of domestic minimum value-addition as mentioned in Appendix A.
- 2.3 **Domestic Manufacturer** is a manufacturer of iron & steel products conforming to guidelines in section 7 and confirming to the definition of 'manufacturer' as per Central Excise Act.
- 2.4 **Government** for the purpose of the Policy means Government of India.
- 2.5 **Government agencies** include Government PSUs, Societies, Trusts and Statutory bodies set up by the Government.
- 2.6 **MoS** shall mean Ministry of Steel, Government of India.
- 2.7 **Net Selling Price** shall be the invoiced price excluding net domestic taxes and duties
- 2.8 **Semi-Finished Steel** shall mean Ingots, billet, blooms and slabs, which can be subsequently processed to finished steel.
- 2.9 **Finished Steel** shall mean Flat and Long products, which can be subsequently processed into manufactured items.
- 2.10 **L1** means the lowest tender or the lowest bid or the lowest quotation received in a tender, bidding process or other procurement solicitation as adjudged in the evaluation process as per the tender or other procurement solicitation.
- 2.11 **Margin of purchase preference** means the maximum extent to which the price quoted by a domestic supplier may be above L1 for the purpose of purchase preference. In case of DMI&SP policy, the margin of purchase preference shall be 20% for items in Appendix B.
- 2.12 **Iron & Steel Product(s)** shall mean such iron and steel product(s) which are mentioned in Appendix A.
- 2.13 **Domestic value addition** shall be the net selling price (invoiced price excluding net domestic taxes and duties) minus the landed cost of imported input materials at the manufacturing plant in India (including all customs duties) as a proportion of the net selling price, in percent. The 'domestic value addition' definition shall be in line with the DPIIT (formerly DIPP) guidelines, and shall be suitably amended in case of any changes by DPIIT in the future. For the purpose of this policy document, domestic value addition and local content have been used interchangeably.

3 Exclusions

3.1 Waivers shall be granted by the Ministry of Steel to all such Government procurements subject to the below conditions.

3.1.1 Where specific grades of steel are not manufactured in the country, or

3.1.2 Where the quantities as per the demand of the project cannot be met through domestic sources

The exclusion requests shall be submitted to the Standing Committee along with sufficient proof of unavailability of domestically manufactured iron & steel products

4 Standing Committee

A Standing Committee under the Ministry of Steel (MoS) to be chaired by the Secretary (Steel), shall be constituted to oversee the implementation of the policy. The Committee shall comprise of experts drawn from Industry / Industry Association / Government Institution or Body / Ministry of Steel (MoS). The said Committee in MoS shall have the mandate for the following:

4.1 Monitoring the implementation of the policy

4.2 Review and notify the list of Iron & Steel products and the domestic value addition requirement criteria as mentioned at Appendix A and Appendix B.

4.3 Issue necessary clarifications for implementation of the policy including grant of exclusions to procuring agencies as per section 3

4.4 Constitute a separate committee to carry out grievance redressal

4.5 The Standing Committee shall submit its recommendations for approval to Ministry of Steel.

5 Notifying Iron & Steel Products Procured by Government

5.1 The following guidelines may be used for identifying and notifying the aforementioned products under the policy:

5.1.1 The policy is applicable to iron & steel products as provided in Appendix A and to capital goods for manufacturing iron & steel products in Appendix B.

5.1.2 Appendix A contains list of iron & steel products which are to be exclusively domestically manufactured and cannot be imported without the approval of the Ministry of Steel

5.1.3 Appendix B contains a list (non-exhaustive) of capital goods for which purchase preference shall be provided to domestically manufactured capital goods, if their quoted price falls within 20% of the price quoted for corresponding imported capital good.

5.1.4 The objective of the policy is to notify all iron & steel products which are procured by Government Agencies for government projects and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of products for commercial sale.

5.1.5 The policy is applicable to all projects funded by Ministry or Department of Government and all agencies/entities under their administrative control for purchase of iron & steel products.

5.1.6 The policy shall be applicable to projects where the procurement value of iron and steel products is greater than Rs. 25 crores. The policy shall also be applicable for other procurement (non-project), where annual procurement value of iron and steel products for that Government organization is greater than Rs. 25 crores.

5.1.7 The policy is applicable to purchase of iron & steel products by private agencies for fulfilling an EPC contract and/or any other requirement of Ministry or Department of Government or their PSUs.

5.1.8 Analysis of the availability of various grades of domestic iron and steel products needs to precede for notification under the policy. Only those iron & steel products, in respect of which at least one domestic manufacturer exists, shall be notified. Consultation may be carried out by the Standing Committee.

5.1.9 The policy is applicable to capital goods for manufacturing iron & steel products in Appendix B produced in compliance to prescribed quality standards, as applicable.

5.1.10 Policy for domestic procurement of capital goods for manufacturing iron and steel products is applicable to all public sector steel manufacturers and all agencies/entities under their administrative control for purchase of capital goods for manufacturing iron & steel products, not with a view to commercial resale.

5.1.11 The policy is applicable to purchase of capital goods for manufacturing iron & steel products by private agencies for fulfilling an EPC contract and/or any other requirement of public sector steel manufacturers and all agencies/entities under their administrative control

- 5.1.12 Government agencies which are involved in procurement of iron and steel products, and capital goods for manufacturing of iron and steel products, in cases where the iron and steel products are not mentioned in Appendix A and Appendix B, shall provide description and technical specifications of the product along with prescribed standards to the Standing Committee. The Standing Committee will act as per mandate in section 3 and section 4.
- 5.2 The Ministry of Steel (MoS) would notify iron & steel products along with the minimum prescribed domestic value addition, furnished at Appendix A.
- 5.3 The policy guidelines on capital goods for manufacturing iron & steel products shall be applicable to public sector steel manufacturers for all purchases of capital goods for manufacturing iron & steel products in Appendix B, irrespective of the project size.
- 5.4 Minimum domestic value addition requirement suggested for iron and steel products in Appendix A, and for capital goods for manufacturing iron and steel products in Appendix B have been decided on the basis of factors such as domestic supplier base, number of suppliers and import to consumption ratio.
- 5.5 The domestic value addition requirement norm shall be so calibrated that it reflects the average/above average manufacturing capability of the domestic industry for the iron & steel products at a point of time. This shall be suitably reviewed by the Standing Committee from time to time and amended, if required with the approval of Ministry of Steel.

6 Tender procedure for procurement by government and government agencies

- 6.1 The procuring/ Government agencies shall follow standard procurement procedures, in accordance with instructions of Ministry of Finance and CVC while adhering to DMI&SP. The policy shall come into effect from the date of its notification in all tenders where price bid have not been opened.
- 6.2 The tender document, for procurement of both Goods as well as for EPC contracts, should explicitly outline the qualification criteria for adherence to minimum prescribed domestic value addition by the bidder for iron and steel products and capital goods for manufacturing iron & steel products(as indicated in Appendix A and Appendix B)
- 6.3 In supporting the growth of domestic products, the target of domestic value addition in iron and steel business activities has been set as contained in **Appendix A and Appendix B**.
- 6.4 For iron and steel products in Appendix A, the procurement process shall be open only to the manufacturers / suppliers having the capability of meeting / exceeding the domestic value addition targets. Manufacturers / suppliers not meeting the domestic value addition targets are not eligible to participate in the bidding.
- 6.5 In case of Appendix B items, if in the opinion of the procuring company, the tenders (procured quantity) cannot be divided in the prescribed ratio of 50:50, then they shall have the right to award contract to the eligible domestic manufacturer for quantity not less than 50%, as may be divisible.
- 6.6 In continuation to the above clause, for Appendix B items, if the tendered item is non divisible, (to be included in the tender document by procuring company) the contract can be awarded to the eligible domestic manufacturer for the entire quantity.
- 6.7 In case of Appendix B items, if none of the eligible manufacturers meeting domestic value addition requirements match the L1 bid, the original bidder holding L1 bid shall secure the order for full value of procurement.
- 6.8 The bidders who are selling agents/ authorized distributors/ authorized dealers/ authorized supply houses of the domestic manufacturers of iron & steel products are eligible to bid on behalf of the domestic manufacturers under the policy. However, this shall be subject to the following conditions:
- 6.8.1 The bidder shall furnish the authorization certificate issued by the domestic manufacturer for selling domestically manufactured iron & steel products.
- 6.8.2 In case the procurement is covered under Appendix A of the DMI&SP policy, the bidder shall furnish the Affidavit of self-certification issued by the domestic manufacturer to the procuring agency declaring that the iron & steel products is domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed.
- 6.8.3 In case the procurement is covered under Appendix B of the DMI&SP policy, the bidder shall furnish the certification issued by the statutory auditor to domestic manufacturer declaring that the capital goods to be used in Iron & Steel industry are domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed.
- 6.8.4 It shall be the responsibility of the bidder to furnish other requisite documents required to be issued by the domestic manufacturer to the procuring agency as per the policy.

7 Domestic value addition requirement

- 7.1 Minimum domestic value addition requirement to qualify the product as a domestically manufactured iron & steel product or a Capital good are mentioned in Appendix A and B.
- 7.2 Domestic value addition shall be the net selling price (invoiced price excluding net domestic taxes and duties) minus the landed cost of imported input materials at the manufacturing plant in India (including all customs duties) as a proportion of the net selling price, in per cent.
- 7.2.1 In case the iron & steel products are made using domestic input steel (semi-finished/ finished steel), invoices of purchases from the actual domestic producers along with quantities purchased and the other related documents must be furnished to the procuring Government agency.
- 7.2.2 In case the iron & steel products have imported input steel, the invoices of purchases from the actual producers along with quantities purchased and the other related documents must be furnished separately. To derive the extent of domestic value addition, the weighted average of both (imported & domestic) input steel shall be considered to ensure that the minimum stipulated domestic value addition requirement of the policy is complied with.
- 7.3 It is recommended that each bidder participating in the tender process should calculate the domestic value addition using the below formula below so as to ensure the domestic value addition claimed is consistent with the minimum stipulated domestic value addition requirement of the policy.

For Iron and Steel products

% Domestic value addition

$$= \frac{\text{Net selling price of final product} - \text{Landed cost of imported iron or steel at plant}}{\text{Net selling price of final product}} \times 100\%$$

For Capital Goods

% Domestic value addition

$$= \frac{\text{Net selling price of final product} - \text{Landed cost of imported input materials at plant}}{\text{Net selling price of final product}} \times 100\%$$

8 Certification and audit

- 8.1 For products in Appendix A, each domestic manufacturer shall furnish the Affidavit of self-certification to the procuring Government agency declaring that the iron & steel products are domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed. For capital goods in Appendix B, the bidder shall furnish the certification issued by the statutory auditor to the domestic manufacturer declaring that the capital goods are domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed. The bidders who are sole selling agents / authorized distributors / authorized dealers / authorized supply houses of the domestic manufacturers of iron & steel products are eligible to bid on behalf of domestic manufacturers under the policy. The bidder shall furnish the Affidavits of self-certification issued by the domestic manufacturers and the certifications issued by the statutory auditors, to the procuring agency declaring that the iron & steel products are domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed. The Affidavit of self-certification shall be furnished in **Form I** attached to these guidelines.
- 8.2 It shall be the responsibility of the domestic manufacturer to ensure that the products so claimed are domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed for the product. The bidder shall also be required to provide a domestic value addition certificate on half-yearly basis (Sep 30 and Mar 31), duly certified by the Statutory Auditors of the domestic manufacturer, that the claims of domestic value addition made for the product during the preceding 6 months are in accordance with the Policy. Such certificate shall be filed within 60 days of commencement of each half year, to the concerned Government agencies and shall continue to be filed till the completion of supply of the said products.
- 8.3 The procuring agency shall accept the Affidavit of self-certification regarding domestic value addition in a steel product submitted by a bidder. It shall not normally be the responsibility of procuring agency to verify the correctness of the claim. The onus of demonstrating the correctness of the same shall be on the bidder when asked to do so.
- 8.4 In case a complaint is received by the procuring agency or the concerned Government Agency against the claim

of a bidder regarding domestic value addition in iron & steel products, the procuring agency shall have full rights to inspect and examine all the related documents and take a decision. In case any clarification is needed, matter may be referred to MoS with a request for technical assistance.

- 8.5 Any complaint referred to the Government Agency shall be disposed off within 4 weeks of the reference along with submission of all necessary documents. The bidder shall be required to furnish the necessary documentation in support of the domestic value addition claimed in iron & steel products to the Government Agency within 2 weeks of filing the complaint.
- 8.6 In case, the matter is referred to the Ministry of Steel, the grievance redressal committee setup under the MoS shall dispose of the complaint within 4 weeks of its reference and receipt of all documents from the bidder after taking in consideration, the view of the Government Agency. The bidder shall be required to furnish the necessary documentation in support of domestic value addition claimed in iron & steel products to the grievance redressal committee under MoS within 2 weeks of the reference of the matter. If no information is furnished by the bidder, the grievance redressal committee may take further necessary action, in consultation with Government Agency to establish bonafides of claim.
- 8.7 The cost of assessing the prescribed extent of domestic value addition shall be borne by the procuring agency if the domestic value addition is found to be correct as per the certificate. However, if it is found that the domestic value addition as claimed is incorrect, the cost of assessment will be payable by the bidder who has furnished an incorrect certificate. The manner of enforcing the same shall be defined in the tender document.

9 Sanctions

- 9.1 Each Government Agency shall clearly define the penalties, in case of wrong declaration by the bidder of the prescribed domestic value addition, in the tender document. The penalties may include forfeiting of the EMD, other financial penalties and blacklisting of such manufacturer/ service provider.
- 9.2 In case of reference of any complaint to MoS by the concerned bidder, there would be a complaint fee of Rs. 10 Lakh or 0.2 % of the value of the DMI&SP being procured (subject to a maximum of Rs. 20 Lakh), whichever is higher, to be paid by Demand Draft deposited with the grievance redressal committee under MoS along with the complaint by the complainant. In case, the complaint is found to be incorrect, the Government Agency reserves the right to forfeit the said amount. In case, the complaint is found to be substantially correct, deposited fee of the complainant would be refunded without any interest.

10 Implementation monitoring by Ministry of Steel

- 10.1 The policy provisions shall be applicable for a period of 5 years from the date of publication. The policy period may further be extended at the discretion of Ministry of Steel.
- 10.2 MoS shall be the nodal ministry to monitor the implementation of the policy.
- 10.3 All applicable agencies under DMI&SP policy shall ensure implementation of the policy and shall annually, in the month of June, send a declaration indicating the extent of compliance to the policy and reasons for noncompliance thereof, during the preceding financial year.

Reference to Ministry of Steel

In case of a question whether an item being procured is a DMI&SP to be covered under the policy, the matter would be referred to the Ministry of Steel for clarification.

Appendix A - Exclusive for domestically manufactured products

Sl. No.	Indicative list of Iron & Steel Products	Applicable HS code	Minimum domestic value addition requirement
1	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot rolled, not clad, plated or coated	7208	50%
2	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	7209	50%
3	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated	7210	50%

4	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated	7211	35%
5	Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated	7212	35%
6	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel	7213	35%
7	Other bars and rods of iron or non alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	7214	35%
8	Other bars and rods of iron or non alloy steel	7215	35%
9	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	7216	35%
10	Wire of iron or non-alloy steel	7217	50%
11	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more	7219	50%
12	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm	7220	50%
13	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel	7222	50%
14	Wire of other alloy steel	7229	35%
15	Rails, railway or tramway track construction material of iron or steel	7302	50%
16	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	7303	35%
17	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	7304	35%
18	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel	7305	35%
19	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	7306	35%
20	Tube or pipe fittings (for example, connectors/couplings, elbow sleeves), of iron or steel	7307	35%
21	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel	7221	35%
22	Wire of stainless steel	7223	35%
23	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more, including electrical steel	7225	35%
24	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm, including electrical steel	7226	35%
25	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel	7227	15%
26	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or nonalloy steel	7228	35%
27	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel	7301	15%
28	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures	7308	15%
29	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 whether or not lined or heatinsulated, but not fitted with mechanical or Thermal equipment	7309	15%

30	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 L, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment	7310	15%
31	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel	7311	15%
32	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated	7312	15%
33	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel	7313	15%
34	Grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel	7314	15%
35	Chain and parts thereof, of iron or steel	7315	15%
36	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel	7316	15%
37	Articles of iron and steel	7317	15%
38	Articles of iron and steel	7318	15%
39	Articles of iron and steel	7319	15%
40	Springs and leaves for springs, of iron or steel	7320	15%
41	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel	7321	15%
42	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors, not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel	7322	15%
43	Tables and similar household articles and parts thereof, of iron or steel	7323	15%
44	Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel	7324	15%
45	Other cast articles of iron or steel	7325	15%
46	Electrical steel and other articles of iron or steel	7326	15%
47	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled	8605	50%
48	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled	8606	50%
49	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as bogies, bissel-bogies, axles and forged wheels, and parts thereof	8607	50%

Products included in descriptions are indicative; all products under the specified HS codes are included as part of the appendix

Appendix B

Indicative list of capital goods(non-exhaustive) for manufacturing iron & steel products

Sl. No.	Plant shop	Capital goods	Minimum domestic value addition requirement
1	Raw material handling system	Apron feeder, barrel couplings, heavy duty bearings, hydraulic disc brakes, tanker & container for powdered materials, conveyor belt for pipe conveyors, high angle conveyor system, crushers, crane rail lubrication system, four girder EOT Crane, crane weighing system, crane air conditioning, fluid couplings, fork lift trucks, hydraulic motors, hydraulic system, locking assembly (friction grip), load cells, level sensors, pipe	50%

		conveyor system, plough/ paddle feeder, pneumatic transportation - dense & lean phase, reclaimers, radio remote control, rail fixing arrangements (special), rapid/ flood loading system, stackers, special screen, slew ring bearings, tippers, transfer cars, tongs (special), vibration, isolation system (spring damper), wagon tippers, wagon loaders	
2	Mineral beneficiation (iron ore and coal) equipment	Industrial crushers, grinding mills, conventional screens, slurry pumps, hydrate thickeners, filters, hydroclones	50%
3	Coke oven	Coke Oven Silica Refractory, Anchorage System, Waste gas valve with branch pipe, Flash Plate, Door Frame, door body, Minor Casting: Gooseneck, Valve box, AP Lid, Charging & inspection hole lid and frame Reversing mechanism, Centralised lubrication system, Hydrojet Door Cleaning Mechanism, Spillage code conveyor system, skip hoist, Door Lowering Rack, Isolation/ Reversing Cocks, Level II automation, Oven machines	50%
4	By-product plant	Primary Gas Cooler, Electrostatic Tar Precipitator, H ₂ S, NH ₃ & Naphthalene Scrubber, Combi Stripper, Flushing Liquor Pump, Claus Kiln, Claus reactors, Waste Heat Boilers, Decanters	50%
5	Sinter plant equipment	Pallet car, Drive/discharge end Sprocket assembly, Curved rail, Slide rails, Hot sinter breaker and Grizzly, Dip rail & running rail, Impeller assembly for Process fan, Drive assembly of Sinter machine, Hi-intensity Mixer & Noduliser	50%
6	Pellet plant equipment	Pallet car, Drive/discharge end Sprocket assembly, Curved rail, Slide rails, running rail, Vertical roller mill, Impeller assembly for Process fan, Drive assembly of Indurating machine, Hi-intensity Mixer, Balling disc, Single deck roller screen and Double deck roller screen	50%
7	Blast furnace equipment	Bell less top system with Bleeder valve, SG Iron stove coolers, Copper stove coolers, Stock level indicator (Radar Type), Mud gun, Drilling machine and Manipulator, Gas Cleaning Plant system, Top Recovery Turbine system including its by-pass valve, De-bricking Machine, Re-railing equipment, PCI system, Grinding mill for PCI, Stock level indicator, Tuyere Stock assembly, Waste Heat Recovery system, BF & Hot Blast Stoves Technological Valves, Above Burden probes, Slag granulation unit, Tuyere & Tuyere cooler, Torpedo Ladle Car, BF hearth refractory	50%
8	Direct reduction plant equipment	Charge distributor, Upper & lower seal leg, Reformer & Re-cuperator system, Burden feeders, Turbo-expander, Process Gas Compressor, Seal gas compressors & bottom seal gas compressors, Seal gas generators & driers, Process Gas Heater, CO ₂ removal plant	50%
9	Basic oxygen furnace equipment	Main and Maintenance equipment comprising of converter, gunning machine, Refractory/ slag monitoring device, converter vessel, trunnion ring and suspension system, trunnion bearings and housing, Converter bull gear unit and tilt drive system, Rotary joint for converter, bottom stirring system, Lance body with clamping, Lance copper tips, Valve stations for oxygen blowing/ bottom stirring, Sub-lance system, Off gas analyzer with process module i.e. Process software/ hardware, container lab Measurement probes, Switch over station, ID fan for primary gas, Hot metal and steel ladle, Ladle Transfer car, Ladle maintenance equipment, Slag pot, Slag pot transfer car, Scrap boxes, Scrap Transfer car, Lance carriage, Lance guide, Crane & hoist, Lance hoist & trolley, Lance tilting device, Traverse for lifting lances, Bunker of various sizes, Bin Vibrator, Weighing Hopper, Maintenance stands, De dusting suction hood, Teeming/HM, ladle relining stands, Stand Cooling stack inspection device, Hood traverse carriage, Refractories, Bypass & isolation valves, Flare stack & ignition system, Scrubbing tower	50%

		shell - Wet gas cleaning system, Dog house, Ladle drier, ladle pre-heater, ladle cooler, Fume collection hoods, Clean gas stack, Dust silo, Weigh Bridge, Slag retaining device	
10	Electric arc furnace	Furnace proper (includes furnace lower shell, upper shell and roof, Tilting platform, Furnace Gantry) and transformer, Electrode regulation system, Hydraulic system, Refractories, Parts of Level I & Level II Automation system. LF - water cooled ladle roof, electrode mast and arms, electrode regulating system, wire feeding system, Bottom inert gas stirring Valve stand for porous plug and top lance, Emergency lance mechanism, Lance carriage system with drive unit, Automatic temperature, sampling & bath level / O2 measurement, Temp. & oxygen immersion lance, lance carriage system with drive unit, Hydraulic system, Refractories, Ladle roof Delta portion, RH proper (includes Ladle transfer car, vacuum vessel, Vessel lifting & lowering system. Hydraulic system, Multi Function lance, Valve racks/station, Electrode clamp unit, conductor of electrode arms, water cooled cable, A R stirring valve rack, lance transport car, Refractory lance, Hydraulic cylinder, Ladle roof lifting cylinder, Lubrication system, Suction hood, damper, Vibro feeder, weighing hopper, wire feeding system, Electrode nippling stand, Cranes, hoist, Temperature & sampling tips, ladle stands, ESP, Deducing hoods, Refractories, bag filter, Cranes etc.	50%
11	Continuous casting equipment	Ladle turret, ladle cover manipulator, Ladle Shroud manipulator, tundish car, Continuous tundish temperature measurement system, Tundish stopper rod mechanism, emergency cut-off gate, mould assembly, Nozzle quick change device, mould oscillator and EMS system. Electro-Magnetic braking system, Strand guide segment, Withdrawal & Straightening unit (WSU), Roll gap checker, Emergency torch cutter, Torch cutting machine, Deburrer, Marking machine, Technological control system & process models, Black Refractories, strand gunde segment, tundish, ladle cover, roller tables & auxiliaries, mould& segment maintenance equipments, tundish maintenance equipments, EMBR system	50%
12	Flat product mills	Large castings and forgings like mill housing, bed plates, work rolls, backup rolls, end spindles; roller tables, backup roll and work roll chucks, coilers / tension reels / uncoilers, AGC cylinders, shears, levelers, lazer welders, packaging machines, non-contact gauges / profile gauges, anti-friction roll neck bearings, oil film bearings, gear boxes, mill motors	50%
13	Long product mills	Mill housing, bed plates, work rolls, backup rolls, spindles; roller tables, coilers / tension reels / uncoilers, shears, billet welder, packaging machines, non-contact gauges / profile gauges, anti-friction roll neck bearings, oil film bearings, finishing blocks, gear boxes, mill motors	50%

**Items in appendix B are an indicative list of capital goods for manufacturing steel, the list is not exhaustive. All capital goods for steel manufacturing shall be considered for purchase preference under the policy with a minimum domestic value addition requirement of 50%*

Form-1

Format for Affidavit of Self Certification regarding Domestic Value Addition in Iron & Steel Products/capital goods to be provided on Rs.100/- Stamp Paper Date:

I _____ S/o, D/o, W/o, _____ Resident of _____ hereby solemnly affirm and declare as under:

That I will agree to abide by the terms and conditions of the policy of Government of India issued vide Notification No: _____.

That the information furnished hereinafter is correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to produce relevant records before the procuring agency (ies) for the purpose of assessing the domestic value addition.

That the domestic value addition for all inputs which constitute the said iron & steel products has been verified by me and I am responsible for the correctness of the claims made therein.

That in the event of the domestic value addition of the product mentioned herein is found to be incorrect and not meeting the prescribed value-addition criteria, based on the assessment of procuring agency (ies) for the purpose of assessing the domestic value-addition, I will be disqualified from any Government tender for a period of 36 months. In addition, I will bear all costs of such an assessment.

That I have complied with all conditions referred to in the Notification No. _____ wherein preference to domestically manufactured iron & steel products in Government procurement is provided and that the procuring agency (ies) is hereby authorized to forfeit and my EMD. I also undertake to pay the assessment cost and pay all penalties as specified in the tender document.

I agree to maintain the following information in the Company's record for a period of 8 years and shall make this available for verification to any statutory authority.

- i. Name and details of the Bidder (Registered Office, Manufacturing unit location, nature of legal entity)
- ii. Date on which this certificate is issued
- iii. Iron & Steel Products for which the certificate is produced
- iv. Procuring agency to whom the certificate is furnished
- v. Percentage of domestic value addition claimed and whether it meets the threshold value of domestic value addition prescribed
- vi. Name and contact details of the unit of the manufacturer (s)
- vii. Net Selling Price of the iron & steel products
- viii. Freight, insurance and handling till plant
- ix. List and total cost value of input steel (imported) used to manufacture the iron & steel products
- x. List and total cost of input steel which are domestically sourced.
- xi. Please attach domestic value addition certificates from suppliers, if the input is not in house.
- xii. For imported input steel, landed cost at Indian port with break-up of CIF value, duties & taxes, port handling charges and inland freight cost.

For and on behalf of (Name of firm / entity)

Authorized signatory (To be duly authorized by the Board of Directors)

<Insert Name, Designation and Contact No.>